प्रेस विज्ञप्ति

06.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय-1 द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 04.11.2026 को मोगा से विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से जुड़े सात परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी लिए गए परिसरों में डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा से संबंधित एक अस्पताल-सह-नशामुक्ति केंद्र भी शामिल था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच पंजाब के जिला मोगा के थाना धर्मकोट में नवदीप सिंह, पटवारी, दिलकुश कुमारी एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। यह प्राथमिकी जिला मोगा के गांव अधरामन में स्थित सरकारी भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी के मामले से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754ए के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में 1,00,65,724/- रुपये की मुआवजा राशि का अनुचित भुगतान किया गया। पंजाब पुलिस द्वारा नवदीप सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह सामने आया है कि मुआवजे की राशि दिलकुश कुमारी के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसे बाद में बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया। जांच में आगे यह भी सामने आया है कि मुआवजे की राशि को अन्यत्र विपथित करने एवं गबन करने में विधायक, उनके पति तथा अन्य सहयोगियों की कथित संलिप्तता रही है।

आगे की जांच में कई सरकारी, नगरपालिका एवं धर्मार्थ संपत्तियों के कपटपूर्ण अधिग्रहण एवं हस्तांतरण का भी खुलासा हुआ है। इनमें जीरा रोड स्थित केंद्र सरकार की 13 मरला भूमि, सिविल लाइंस स्थित पंजाब सरकार की 7 मरला भूमि, रेलवे रोड स्थित मार्केट कमेटी की 6 मरला भूमि, मोगा मेहला सिंह-3 स्थित नगर निगम की 3 कनाल 16 मरला भूमि तथा यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के स्वामित्व वाली 52 मरला 8 सरसाही भूमि शामिल हैं। आरोप है कि इन संपत्तियों का अधिग्रहण अथवा हस्तांतरण राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी एवं संपत्ति संबंधी दस्तावेजों के निष्पादन के माध्यम से विधायक के रिश्तेदारों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि संपत्तियों के इस प्रकार के कपटपूर्ण अधिग्रहण एवं हस्तांतरण के माध्यम से अपराध का आगम कथित रूप से अर्जित किया गया। इसके अतिरिक्त, मोगा में एक आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में अघोषित नकद प्रतिफल के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े आरोप भी सामने आए हैं।

तलाशी अभियान के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए गए, जो विधायक एवं उनके सहयोगियों द्वारा बेनामी संपत्तियों के कथित अधिग्रहण की ओर संकेत करते हैं। बरामद सामग्री की वर्तमान जांच के हिस्से के रूप में जांच की जा रही है।

मामले में आगे की जांच जारी है।